हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 18 दिसम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–101/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024 जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2024 का विधेयक संख्यांक 40.

हिमाचल प्रदेष पुलिस (संषोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 25 का संशोधन।
4. धारा 65 का संशोधन।
5. धारा 95 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 40.

हिमाचल प्रदेष पुलिस (संषोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 4 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) ग्रेड–II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की राज्य संवर्ग (काडर) में भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी।"।

3. धारा 25 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (1) में "जिला संवर्ग के सदस्य के लिए जिला नामावली से और राज्य संवर्ग (काडर) के सदस्य के लिए राज्य नामावली (रोल) से" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

4. धारा 65 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, लोक सेवक को उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय किए गए कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा।"।

5. धारा 95 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (1) के अन्त "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि उपरोक्त वर्णित पंक्ति के सेवानिवृत्त पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो राज्य सरकार, स्थिति और उपलब्धता के आधार पर कारणों को अभिलिखित करके, किसी भी कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी को उपरोक्त चर्चित रीति में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।"।

उद्देष्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) के उपबंधों के अनुसार अराजपत्रित पुलिस अधिकारी ग्रेड–II की भर्ती जिला संवर्ग और राज्य संवर्ग में की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने सीआर.डब्ल्यू.पी. संख्या 12/2024 नामतः रवीना बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य में तारीख 23–10–2024 के अपने निर्णय में मताभिव्यक्ति की है कि पुलिस विभाग को उसके अधिकारियों/कर्मचारियों के रैंक और प्रोफाइल का विचार किये बिना राज्य संवर्ग बनाने का यह उचित समय है। इससे पुलिस विभाग पूरे राज्य में आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार अपने अधिकारियों को तैनात करने में समर्थ हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन करने के लिए पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, जिला न्यायवादी और उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त अभियोजकों या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों में से तीन गैर–सरकारी सदस्यों को नामित किया जाना अपेक्षित है। तथापि ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन नहीं किया जा सका। इसलिए, राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में कनिष्ठ अधिकारियों को भी नामित करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी.आई.एल. संख्या 21/2019 में तारीख 11–9–2024 नामतः कोर्ट आन इट्स ओन मोशॅन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदरज के अपने आदेश में भी इस आशय के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है। लोक सेवकों को निडर होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसलिए अधिनियम की धारा 65 में संशोधन करना समीचीन है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशालाः

तारीख ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेष पुलिस (संषोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

(षरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशालाः
तारीख....., 2024

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 40 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 25.

4. Amendment of section 65.
5. Amendment of section 95.

Bill No. 40 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Police Act, 2007(Act No. 17 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Police (Amendment) Act, 2024.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) Recruitment of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II to the State Cadre shall be made through Police Recruitment Board, in accordance with the Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government.".

3. Amendment of section 25.—In section 25 of the principal Act, in the sub-section (1), the words "from a District Roll for a member of the District Cadre and from a State Roll for a member of the State Cadre" shall be omitted.

4. Amendment of section 65.—In section 65 of the principal Act, after the sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) No Police Officer shall arrest a public servant for any act done while discharging his duties as public servant except with the prior sanction of the Government.".

5. Amendment of section 95.—In section 95 of the principal Act, at the end of sub-section (1), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter a proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the retired eligible officers of the ranks mentioned above are not available then the State Government may nominate junior retired officer in the manner discussed above depending upon the situation and availability for the reasons to be recorded.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, as per the provisions of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), recruitment of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II is being made to the District Cadre and State Cadre. The Hon'ble High Court in its judgement dated 23-10-2024 in Cr.WP No.12 of 2024 titled as Ravina Versus State of Himachal Pradesh and others, has observed that it is high time for making the Police Department a State Cadre, irrespective of its officer's rank and profile. This would enable the Police Department to post its officers as per the necessity and requirement all over the State. Further to constitute the District Police Complaint Authorities, three non-official members amongst the retired Police Officers of the rank of Superintendent of Police or above, retired prosecutors of the rank of District Attorney and above, or retired Judicial Officers of the rank of the Additional District Judge and above, are required to be nominated. However, due to non-availability of such retired officers, the District Police Complaint Authorities could not be constituted. Therefore, there is a proposal to enable the State Government to nominate the junior officers in case of non-availability of senior officers for the purpose. The High Court in its order dated 11-9-2024 in CWPIL No. 21 of 2019 titled as Court on its own motion Versus Union of India & Ors, has also directed to consider the proposal to this effect. In order to enable the public servants to discharge their duties fearlessly, it is propsed to grant them protection from arrest. Hence, it is expedient to amend section 65 of the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:

THE……, 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Police Act, 2007(Act No. 17 of 2007).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

The ..... , 2024.